

29/9/17

NOT
PRESS
MSS

29-9-17

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वकील प्रार्थना उपस्थित। वकील प्रार्थना ने निवेदन
किया कि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना द्वारा उन्हें हिदायत
पैरवी नहीं दी। ऐसी रिपणनी वकील प्रार्थना ने आवेदन
पर संकेत की है। प्रार्थना के नाम से इजलास
वक्त तक बंका रुक कर आवेदन लागू नहीं गइलेकिन
प्रार्थना की ओर से कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं
आया है। प्रार्थना पत्र अदम एजिरी अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

